

सं० 31011/6/73-एज० (अ)

भारत सरकार

गृह विभाग

वर्तमान और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली - 110001, दिनांक 9 अक्टूबर 1978

कार्यालय सचिव

विषय: - छुट्टी यात्रा रिआयत - आरक्षण/ शायिका (स्वीपर) के भाड़े की स्वीकार्यताओं-1। तथा 4 के सरकारी कर्मचारियों द्वारा पेल/स्वकोस वाडों में यात्रा करने की इकावरी।

जो यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग से अक्सर यह सत्यापन भी मिले रहे हैं कि क्या छुट्टी यात्रा रिआयत योजना के अधीन यात्रा करते समय सरकारी कर्मचारी शायिका/आरक्षण के भाड़े की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्य छुट्टी यात्रा रिआयत का लाभ उठाते हुए द्वितीय श्रेणी में यात्रा करते समय/ शायिका/आरक्षण भाड़े की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं और प्रथम श्रेणी में यात्रा करते समय आरक्षण के भाड़े की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं (जब प्रथम श्रेणी में यात्रा की जाती है तो शायिका के खान के लिए अलग चिराया नहीं लिया जाता)।

2- छुट्टी यात्रा रिआयत संबंधी विवरणों के खण्ड (8) के पैराग्राफ (25) के अनुसार, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रिआयत का लाभ उठाते समय पेल/स्वकोस वाडों में यात्रा कर सकते हैं। किन्तु ऐसे मामलों में उनके दावे की स्वीकृति के लिए उन्हें इस अक्षय का एक प्रमाणपत्र देना होता है कि उक्त यात्रा वास्तव में पेल/स्वकोस वाडों में की गई थी। भविष्य में ऐसे कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार का प्रमाणपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और वे अपने विकल्प में पेल/स्वकोस वाडों में यात्रा कर सकते हैं तथा तदनुसार छुट्टी यात्रा रिआयत का लाभ कर सकते हैं।

3- छुट्टी यात्रा रिआयत के ऐसे दावों की, जिनके संबंध में कर्मचारियों 1-2-73 की या उसके बाद की गई थी, इन अधिकारों के अनुसार नियमित किया जा सकता है।

4- कृषि तथा सिंचाई विभाग से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उपबन्धों को सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लाएं।

5- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षण तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है इसे नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की सहमति से जारी किया जाता है।

80

(आर० सी० गुप्ता)

अउप सचिव, भारत सरकार